Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भरतपुर में खनिज विभाग का वरिष्ठ सहायक 21 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार**
- **सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर मुआवजा दिलाने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जून।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भरतपुर एस.यू. इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये लखन सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, रूपवास, जिला भरतपुर को परिवादी से 21 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की भरतपुर एस.यू. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर सरकार से प्राप्त होने वाली 3 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करवाने की एवज में लखन सिंह वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, रूपवास, जिला भरतपुर द्वारा 15 प्रतिशत कमीशन के रूप में 45 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर एस.यू. इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेश मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **आज पुलिस निरीक्षक श्री श्रवण विश्नोई** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये लखन सिंह पुत्र श्री पन्नालाल सैनी निवासी ई.डब्ल्यू.एस. कॉलोनी, बुद्ध विहार, पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय खनिज अभियन्ता, रूपवास, जिला भरतपुर को परिवादी से **21 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान ही परिवादी से **9 हजार रुपये रिश्वत** के रूप में लिये जा चुके थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।